न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 11/2015

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. मंगलपुरी पुत्र लादूपुरी जी		1. बख्ताराम पुत्र दूदाराम जी
2. चेतनपुरी पुत्र लादूपुरी जी		2. हिम्मताराम पुत्र बख्ताराम
3. ओमपुरी पुत्र लादूपुरी जी		3. पांचूराम पुत्र बालूराम
4. अशोकपुरी पुत्र लादूपुरी जी		4. रामलाल पुत्र बालूराम
5. पदमपुरी पुत्र लादूपुरी जी		5. मोहनलाल पुत्र बालूराम
6. कानपुरी पुत्र लादूपुरी जी		6. माधूराम पुत्र बालूराम
7. पार्वतीदेवी पुत्री लादूपुरी जी		जातियान - रेगर,
8. बिदामी पुरी पत्नि लादूपुरी जी		निवासीगण- चावण्डिया
जातियान-गोस्वामी,		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
निवासी-चावण्डिया, तह.		7. तहसीलदार, जैतारण
-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.16/01/2015**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मय वादी सं0 5

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 09/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-चावण्डिया, पटवार हल्का-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 496 रकबा 08-08 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसके वादीगण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं नकल चालू जमाबन्दी इस वाद पत्र के साथ पेश की है। इस भूमि को आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की हैं एवं इस भूमि के उत्तरी व दक्षिणी तरफ आम रास्ते निकलते हैं। वादीगण की खातेदारी भूमि के उत्तरी तरफ जो रास्ता स्थित है। उसके बाद प्रतिवादीगण के खेत आये हुयें हैं। प्रतिवादीगण ने रांस्ते की भूमि को अपने खेत में मिला लिया गया एवं अब रास्ते से आगे आकर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काष्त की भूमि में कब्जा करने को आमादा है इसी नियत से आये दिन वादीगण से लडाई झगडा व विवाद कर रहे है तथा दिनांक 06/12/2014 को प्रतिवादीगण एकत्र होकर अपने साथ ट्रेक्टर की तवीया जोडकर वादीगण के खेत पर आये तथा वादीगण के खेत पर आये तथा वादीगण के खेत में नयें सिरे से खन्दक बनाने लगे व खडे खेजडी के पेड भी काटने लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया तब प्रतिवादीगण ने वादीगण को अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण के झूठे मामले फसाने की एलानिया प्रतिवादीगण धमकियाँ दी है तथा विवाद कर रहें है। परन्तु वादीगण कानून को मामने वाले सीधे सादे व्यक्ति हैं। जबकि प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं जो जबरदस्ती वादीगण की जमीन दबा लेना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हुए तो वादीगण अपनी खातेदारी व हकसुदा भूमि से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे एवं वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवेधानिक कृत्यो का विरोध करेगें, जिससे विवद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियो में वादीगण के पास यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहनें से यह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी संख्या सात भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु वाद अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुमति लेकर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनाय वाद दिनांक 06/12/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उसकी खातेदारी सुदा व हकसुदा भूमि से बेदखल कर देने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम चावण्डिया के तहसील जेतारण में पैदा हुआ है। अन्दर ग्यात व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार आशिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादीगण आज राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आए। पत्रावली राजस्व शिविर-चावण्डिया में पेश हुई। चूँकि वादीगण स्वयं खातेदार काश्तकार होना राजस्व रेकर्ड से बखूबी साबित हैं, किन्तु विवादित भूमि के पास स्थित रास्ते का विवाद होना भी स्पष्ट हुआ हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार करने योग्य हैं, लिहाजा स्वीकार किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा तथा उक्त भूमि एवं रास्ते की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-चावण्डिया, पटवार हल्का-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 496 रकबा 08-08 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण को काश्त में दखलन्दाजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 09/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -डिगरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. मंगलपुरी पुत्र लादूपुरी जी		1. बख्ताराम पुत्र दूदाराम जी
2. चेतनपुरी पुत्र लादूपुरी जी		2. हिम्मताराम पुत्र बख्ताराम
3. ओमपुरी पुत्र लादूपुरी जी		3. पांचूराम पुत्र बालूराम
4. अशोकपुरी पुत्र लादूपुरी जी		4. रामलाल पुत्र बालूराम
5. पदमपुरी पुत्र लादूपुरी जी		5. मोहनलाल पुत्र बालूराम
6. कानपुरी पुत्र लादूपुरी जी		6. माधूराम पुत्र बालूराम
7. पार्वतीदेवी पुत्री लादूपुरी जी		जातियान - रेगर,
8. बिदामी पुरी पत्नि लादूपुरी जी		निवासीगण- चावण्डिया
जातियान-गोस्वामी,		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
निवासी-चावण्डिया, तह.		7. तहसीलदार, जैतारण
-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 11/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-चावण्डिया, पटवार हल्का-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 496 रकबा 08-08 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण को काश्त में दखलन्दाजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	62	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान:-	65	00	मिजान:-		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा रह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner